रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

कोर-IV, स्कोप कॉम्पलैक्स, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

सतर्कता प्रभाग

सं. आरईसी/सतर्कता/II(60)/96/754 **दिनांक 21 मई, 2002**

परिपत्र सं. 4/2002

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि अनुशासनिक जांच के लिए जिन संवेदनशील फाइलों या बुनियादी फाइलों की आवश्यकता होती है, वे अनेक मामलों में गायब पाई जाती हैं। यह समस्या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अधिक पाई जाती है तथा इसका उपयोग जांच के लिए अपेक्षित फाइलें उपलब्ध कराने से इनकार करने के बहाने के रूप में किया जा रहा है तथा फलस्वरूप जांच विकृत हो जाती है ।

अतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने यह निर्णय लिया है कि जो अधिकारी फाइलों की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी है उसे ही फाइलों के गुम होने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों को सलाह दी गई है उन अभिरक्षकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने पर विचार करें, जो यह सूचना देते हैं कि सतर्कता जांच के लिए अपेक्षित फाइलें गुम हो गई हैं ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेश उन सभी संबंधितों को सूचनार्थ परिचालित किए जाते हैं, जो फाइलों की अभिरक्षा और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी हैं ।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

ह0/-
(एस. मजूमदार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी के सहायक निदेशक
2. निदेशक (वित्त)/कार्यकारी निदेशक, आरईसी के सहायक निदेशक
3. सभी महाप्रबंधक/मुख्याधिकारी, कारपोरेट कार्यालय, आरईसी
4. अपर निदेशक, सायर, हैदराबाद
5. सभी मुख्य परियोजना प्रबंधक, आरईसी, परियोजना कार्यालय
6. सभी संयुक्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी, कारपोरेट कार्यालय, आरईसी
7. मास्टर फाइल/फोल्डर/कार्यालय प्रति